न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :- प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 22/2016 (उदयपुर डिक्री)

रामचन्द्र पिता डालचन्द जी (मृतक) के बजाय :-

1. गणपतलाल पिता स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी, जाति ब्राहमण (जोधपुरा), निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती कलावती पिता स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी, जाति ब्राहमण (जोधपुरा), निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
3. श्रीमती कमला पिता स्वर्गीय श्री रामचन्द्र जी, जाति ब्राहमण (जोधपुरा), निवासी केदारिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. भंवरलाल पिता कमलिया जी मेघवाल (मृतक) के बजाय :-

1/1. गणपतलाल पिता भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/2. भाान्तिलाल पिता भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/3. जगदी''ा पिता भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/4. गीता पिता भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/5. पप्पुडी पिता भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

1/6. श्रीमती मोहनी बाई पत्नी भंवरलाल जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

2. भांकर पिता कमलिया जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

3. उदा पिता कमलिया जी मेघवाल, निवासी केदारिया, हाल गांव खेड़ी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि.–1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 29.01.2013 प्र.सं. 08/2002

–––/–––

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री भूरालाल डांगी अभिभाशक अपीलान्टगण

2. श्री सुरे"ा पुरी गोस्वामी अभिभाशक रेस्पोन्डेन्टगण

–––:::–––

निर्णय दिनांक

11–09–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 88 व 63 (1) (4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा आराजी नंबर 17/2ख, 18, 19/1, 19/2, 20, 21 कुल किता 6 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है, जो प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त भूमि वादी ने प्रतिवादीगण के पिता कमलिया से दिनांक 23–03–1955 को 1500/– रूपये में कय कर कब्जा प्राप्त किया, तब से निरन्तर वादी का कब्जा चला आ रहा है। इस कारण वादी प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदार हो चुके हैं। उक्त विकय दिनांक 23–03–1955 का है, जबकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट दिनांक 15–10–1955 को प्रभाव में आया इस कारण उक्त हस्तान्तरण धारा 42 राजस्थान का"तकारी अधिनियम से भी प्रभावित नहीं है। अतः वादी को विवादित भूमियों का खातेदार घोशित किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा सहमति का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने उभयपक्षों की बहस सुनकर उपलब्ध साक्ष्यों के

आधार पर अपने निर्णय दिनांक 29—01—2003 से वादी का वाद खारिज कर दिया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09—03—2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किये जाने पर रेस्पोन्डेन्टगण की ओर से वकील श्री सुरे"ा पुरी गोस्वामी उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्रकरण में बहस सुनी गयी।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्टगण के पिता दमे की बीमारी से ग्रसित होने से अपीलान्टगण उनकी सेवा में लगे रहे तथा दिनांक 25—02—2015 को अपीलान्टगण के पिता श्री रामचन्द्र जी का देहावसान हो गया, जिससे अपीलान्टगण को उक्त प्रकरण की जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 23—02—2006 को विरासत का नामान्तरकरण खुलवाने हेतु पटवारी के पास गये तो उन्हें उक्त प्रकरण की जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। जानकारी दिनांक से अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत कर दी गयी है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तो पाया कि अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 29—01—2003 की अपील की मियाद 28—03—2003 होती है, जबकि अपीलान्टगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 09—03—2016 को अर्थात करीब 15 वर्श विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है तथा इस हेतु जो कारण उन्होंने बताये हैं वह न तो उचित हैं, न ही पर्याप्त। तद्नुसार अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29—01—2003 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11–09–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत............भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.........मुकाम...............
उदयपुर.............
व इजलास .... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....
....

मृतक रामचन्द्र के बजाय गणपतलाल बनाम मृतक भंवरलाल के बजाय गणपतलाल जाति ब्राहमण (जोधपुरा), नि.केदारिया जाति मेघवाल, नि0 केदारिया हाल
तह. वल्लभनगर, जि. उदयपुर व अन्य गांव खेड़ी, तहसील चित्तौड़गढ़ व अन्य

अपील नं॰.......22/2016.....व नाराजगी डिगरी अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.....
...........वल्लभनगर.......... मुकाम................मुवर्खे.............29.............माह..............
01............2003

दावा बाबत

यह अपील व तारीख........11....माह........09.......सन् 2019 रूबरू........ पक्षकारान
व हाजरी........श्री भूरालाल डांगी...........मिनजानिब अपीलान्ट व........श्री सुरे”ा पुरी गोस्वामी

............रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि........ अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 29–01–2003 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.......)........रूपये .... X......
अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का.......................... X ....
अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.........11......माह.......09...
........2019
को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0

1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील...... ..... मीजान		

नोटः— इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।